कार्यालय बागपत-बडौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत।

पत्रांक :- 219 /बा०ब०खे०वि०प्रा०/मा०अनु०/2019-20 दिनांक : 20/07/19

सेवा में,

मैसर्स ABV BUILDTECH L.L.P,
द्वारा श्री अश्वनी कुमार, श्री वरूण कुमार तोमर, श्रीमती विमलेश तोमर,
श्रीमती अर्चना, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती कमला देवी,
श्रीमती राजबाला, श्री समरपाल सिहं एव श्री कल्याण सिहं,
निवासी अर्जुनपुरम, तहसील बडौत, जनपद बागपत।

आपके पत्र दिनांक **24-09-2015** मानचित्र संख्या **34/15** के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित **खसरा संख्या 852, 854 एवं 865 तलपट निर्माण को पटटी चौधरान म्यूनिसिपल एरिया से बाहर दिल्ली-सहारनपुर रोड बडौत, जनपद बागपत** पर निम्नलिखित शर्तो से साथ उ०प्र० नगर योजना एंवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध माना जायेगा। उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की दशा में अधिकतम तीन वर्षो की समयावधि की बढ़ोत्तरी आवेदन करने पर दी जा सकती है। जिसे पाँच वर्ष की समयावधि पूर्ण होने से पहले ही स्वीकृति करानी होगी।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगी। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर योजना एवं निर्माण विकास अधिनियम - 1973 की धारा- 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर योजना एवं निर्माण विकास अधिनियम - 1973 की धारा – 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगी जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वही प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है, तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उपनियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण कार्य पुरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकयूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (औकूयपायी) करेगें।

11. स्थल पर निर्माण के समय किसी भी दुर्घटना आदि की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

12. भूकम्परोधी निर्माण हेतु लिटंल बैंड तथा ब्रिक वर्क में आवश्यक सरिया आदि की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

13. उपरोक्त शर्तो का उल्लघनं करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर मानचित्र निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

14. उ०प्र० नगर योजना एवं निर्माण विकास अधिनियम - 1973 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्राविधानों के अनुरूप अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।

15. नियम एवं शर्त पूर्व पत्रांक 34/15 / बा० ब० खे० वि० प्रा० /मा०अनु०/2018-19 दिनांक 27-08-2018 एवं पत्रांक 34/15 दिनांक 07-05-2019 की शर्ते यथावत रहेगी।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघन उ०प्र० नगर योजना एवं निर्माण विकास अधिनियम - 1973 की धारा- 26 के अधीन दण्डनीय होगा।

संलग्नक: स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार जैन को प्रेषित।

20/7/19

सचिव
बागपत-बडौत-खेकड़ा
विकास प्राधिकरण, बागपत।

सचिव
बागपत बडौत खेकडा विकास प्राधिकरण
बागपत